न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 50/2023/अपील/एलआरएक्ट/बारां कोर्ट कैंप
दायरा दिनांकः 15.12.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

हरिशंकर पुत्र श्री धन्नालाल जाति भील निवासी दीगोद खालसा, तहसील छीपाबड़ौद, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबड़ौद, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री संजय नागर अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 04.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 54/2023 बउनवान हरिशंकर बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 364/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 15.11.2022 से अपीलार्थी को वाके ग्राम दीगोद खालसा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 1218/737 की 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 225/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 19.06.2023 से खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को बिना सुनवायी,

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जवाबदेही का अवसर दिये एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही कोई तावान बकाया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलार्थी को सजायाब करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ोद के द्वारा बिना सुनवायी के केवल पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नही है तथा कब्जा छोड़ दिया है। इस प्रकार बिना मौके की जांच किये अपीलार्थी को सजायाब कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।

5 प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अवलोकन कर बहस अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद द्वारा प्रकरण संख्या 364/2022 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 15.11.2022 से अपीलार्थी को वाके ग्राम दीगोद खालसा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह सम्वत् 2079 में खसरा संख्या 1218/737 की 4 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर फसल सोयाबीन की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 1 माह की सिविल कारावास की सजा एवं 225/– रूपये शास्ति से दण्डित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश करने पर प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 19.06.2023 से खारिज की गई।

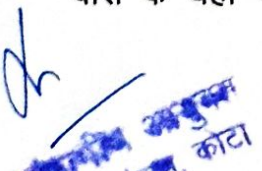

अपीलार्थी का न्यायालय हाजा में तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ोद के द्वारा बिना सुनवायी के केवल पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, जबकि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा नही है। अपीलार्थी के उपरोत तर्क के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबड़ौद की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण के संबंध मे पटवारी हल्का के द्वारा अनाधिकृत कब्जा रिपोर्ट दिनांक 02.11.2022 को पेश की गई। उक्त रिपोर्ट अनुसार न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के द्वारा प्रकरण सं0 364/2022 दर्ज कर दिनांक 04.11.2022 से जरिये नोटिस अपीलार्थी को दिनांक 15.11.2022 को उपस्थित होने बाबत् सूचित किया गया है। अपीलार्थी को उक्त जारी नोटिस पश्चातवर्ती होने का जारी किया गया है, किंतु अपीलार्थी का कथन रहा है कि पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है। अपीलार्थी का उक्त कथन उचित प्रकट नहीं होता है, क्योंकि अपीलार्थी को पूर्व में संवत 2078 में भी अतिक्रमण कर काश्त करने पर प्रकरण सं0 496/2022 से फसल निलामी की जाकर बेदखली की कार्यवाही किया जाना प्रकट होता है। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय हाजा में कब्जा छोड़ने बाबत् शपथ–पत्र पेश किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत कब्जा होने के संबंध में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.11.2022 को अपीलार्थी द्वारा झूठी बताया जाना तथा उक्त आराजी पर कब्जा छोड़ने संबंधी शपथ पत्र न्यायालय हाजा में पेश करना विरोधाभासी प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में हम उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रकरण में प्रश्नगत आराजी के संबंध में अपीलार्थी को सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, छीपबड़ौद को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलार्थी इस हद तक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां द्वारा प्रकरण सं0 54/2023 बउनवान हरिशंकर बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.06.2023 अपास्त किया जाता है तथा न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के प्रकरण संख्या 364/2022 में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2022 से अपीलार्थी की 1 माह की सिविल कारावास की सजा को स्थगित रखते हुए प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

6 निर्णय आज दिनांक 04.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
सभागीय आयुक्त
कोटा

सभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा